[2018] 4 उम. नि. प. 233

महेश चन्द्र वर्मा

बनाम

झारखंड राज्य, उसके मुख्य सचिव के माध्यम से और अन्य

11 मई, 2018

न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 – पेंशनिक और सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे – सेवावधि की गणना – न्यायिक सेवा के नियमित काडर में अपर्याप्त पदों या चयन सूची में निम्न रैंक के कारण नियुक्ति न पाने पर पहले फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना और बाद में उन्हें न्यायिक सेवा के नियमित काडर में शामिल किया जाना – नियमित काडर में नियुक्त किए जाने से पूर्व फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में की गई पिछली सेवा की गणना पेंशनिक और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य फायदों के लिए की जाएगी ।

प्रस्तुत मामले में जो एकमात्र प्रश्न विचारार्थ उद्‌भूत हुआ है वह यह है कि क्या अपीलार्थियों/न्यायिक अधिकारियों द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं की गणना उनके पेंशनिक और अन्य फायदों के लिए की जा सकती है क्योंकि अपीलार्थियों ने इसके पश्चात् नियमित न्यायिक सेवा में प्रवेश किया है । झारखंड राज्य की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन बिहार राज्य में से तारीख 25 नवम्बर, 2000 को की गई थी । प्रत्यर्थी सं. 2, झारखंड उच्च न्यायालय ने इसके तुरंत पश्चात् तारीख 23 मई, 2001 को झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया । अपीलार्थियों ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और परीक्षा और साक्षात्कार के पश्चात् ऐसे 27 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार की गई थी, जो वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र थे । तथापि, अंतिम चयन सूची में अपीलार्थियों में से किसी का नाम नहीं था । इसके समानांतर गतिविधि यह हुई कि 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में वर्णित न्यायालयों की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन 502.90 करोड़ रुपए आबंटित किए । विभिन्न राज्यों में काफी समय से लंबित मामलों, विनिर्दिष्ट रूप से सेशन मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए 1734

न्यायालयों की परिकल्पना की गई थी । वित्त आयोग द्वारा आबंटित निधियों का उपयोग पांच वर्षों की समयबद्ध अनुसूची में किया जाना था और राज्य सरकारों को ऐसे न्यायालयों का गठन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने थे । उपर्युक्त फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम को अग्रसर करने के लिए ही झारखंड राज्य/प्रत्यर्थी सं. 1 ने तारीख 29 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना द्वारा अपर जिला न्यायाधीशों के स्तर पर ऐसे 80 से अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया था । चूंकि इन पदों को शीघ्र भरने के लिए इस अधिसूचना से ठीक पूर्व परीक्षा संबंधी प्रक्रिया का संचालन किया गया था इसलिए चयन सूची में के ऐसे व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में समायोजित करने का विनिश्चय किया गया जिन्हें वरिष्ठ न्यायिक सेवा के नियमित काडर में समायोजित नहीं किया जा सका था । चयन सूची में शामिल 27 अभ्यर्थियों में से प्रथम 17 अभ्यर्थियों को तारीख 15 दिसम्बर, 2001 को नियमित काडर में नियुक्त किया गया था जबकि शेष 10 अभ्यर्थियों को तारीख 2 फरवरी, 2002 को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्त किया गया था । चूंकि फास्ट ट्रैक न्यायालयों की रिक्तियों को इस प्रक्रिया द्वारा भरा नहीं जा सका था, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने तारीख 23 मई, 2001 के विज्ञापन के अनुसरण में चयन प्रक्रिया में भाग लिया था किन्तु उनके नाम चयन सूची में नहीं थे, विधिज्ञ वर्ग से सीधी भर्ती के प्रवर्ग के अधीन 15 और अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था । इस प्रक्रिया का अनुपालन यथार्थ रूप से चयन सूची से परे अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार ही किया गया था । इन 15 अभ्यर्थियों को तारीख 23 सितम्बर, 2002 को नियुक्त किया गया था । वर्ष 2008 में, उच्च न्यायालय ने तारीख 31 अगस्त, 2008 को आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अपर जिला न्यायाधीशों के 34 पदों के लिए एक नई चयन प्रक्रिया जारी की । इसके पश्चात् फास्ट ट्रैक न्यायालयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के अधीन फायदाग्राही होने वाले व्यक्तियों के बीच एक विधिक लड़ाई आरंभ हो गई । उपर्युक्त चयन प्रक्रिया को आक्षेपित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई चुनौती सफल हुई किन्तु इसके विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया । न्यायिक अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी और इस लड़ाई को उच्चतम न्यायालय तक लाया गया । उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि नियमितीकरण और आमेलन के लिए एक

परीक्षा का संचालन किया गया था और इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उसमें सफल हुए थे और इस प्रकार उन्हें झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था । तथापि, उन्हें नए सिरे से भर्ती किए गए अधिकारी माना गया था । अपीलार्थी उन्हें नए सिरे से भर्ती किए गए अधिकारी मानने के कारण व्यथित थे और उन्होंने वेतन के संरक्षण का फायदा देने और सेवा की सततता संबंधी अन्य फायदों के लिए अनुरोध किया । तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था । इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं फाइल की गईं, जहां कुछ अंतरिम संरक्षण दिया गया था किन्तु अंततः वे रिट याचिकाएं एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थीं । इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनेक अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थियों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में किसी व्यक्ति की सनक और कल्पना के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था बल्कि वे न्यायिक भर्ती प्रक्रिया की योग्यता सूची में पंक्ति में अगले व्यक्ति थे । वे या तो चयन सूची के भाग थे, जिन्हें काडर की सदस्य-संख्या के कारण स्थान नहीं मिल सका था या वे चयन सूची में पंक्ति में अगले व्यक्ति थे । यदि काडर की सदस्य-संख्या पर्याप्त होती तो भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति हो गई होती । इस बात का विश्वास है कि इन न्यायाधीशों ने नौ वर्षों से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान की हैं और उन्होंने न्यायाधीशों के रूप में अपनी भूमिका संतोषजनक रूप से की है अन्यथा उन्हें नियमित काडर में नियुक्ति करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता । इसके अलावा, उन्होंने ऐसी भर्ती के लिए दूसरी प्रक्रिया भी पूरी की । यह अत्यंत दुख का विषय है कि इन अपीलार्थियों को, जिन्होंने सक्षम प्राधिकारियों के समाधानप्रद रूप में न्यायाधीश के कृत्यों का पालन किया है, सेवा की इस अवधि के लिए उनके पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों से उन्हें वंचित किया जाना चाहिए । अपीलार्थियों ने न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के मुकाबले, जिसकी भर्ती बाद में हुई थी, ज्येष्ठता से संबंधित किसी मामले या किसी अन्य फायदे पर जोर नहीं दिया था । वास्तव में, अपीलार्थियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों की हैसियत में उनके द्वारा की गई सेवा की, पेंशनिक और सेवानिवृत्ति फायदों के लिए उनके सेवाकाल में गणना किए जाने का फायदा देने संबंधी प्रश्न की ही परीक्षा की जा रही है । इससे इनकार करना अपीलार्थियों के प्रति अन्यायपूर्ण और अऋजु होगा । (पैरा 15)

अपीलार्थियों के संबंध में भी जो स्थिति है वह प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर भिन्न नहीं है, क्योंकि मामलों के प्रवाह और लंबित स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित काडर के पदों की आवश्यकता थी । इस आकस्मिकता से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम लाई गई थी और अपीलार्थियों को इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्त किया गया था और वे लगभग एक दशाब्दी तक कार्य करते रहे । वे नियमित काडर के पदों पर भर्ती के लिए आरंभिक चयन सूची/योग्यता सूची के भाग थे किन्तु उनका रैंक इतना ऊंचा नहीं था कि वह विद्यमान पदों की संख्या में भर्ती किए जा सकते । नियमित काडर के पदों में आमेलन के प्रक्रम पर भी उन्हें इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और वे उसके पश्चात् कार्य करते रहे । अतः, न्यायालय की यह बेहिचक और स्पष्ट राय है कि सभी अपीलार्थी और समान परिस्थिति वाले न्यायिक अधिकारी, फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि के फायदे की गणना पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के अवधारण के लिए उनके सेवाकाल में कराने के हकदार हैं । (पैरा 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 1 एस. सी. सी. 457 :
श्रीकांत राय बनाम **झारखंड राज्य** ; 6

[2013] (2013) 14 एस. सी. सी. 65 :
निहाल सिंह और अन्य बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ; 16

[2012] (2012) 11 एस. सी. सी. 656 :
महेश चन्द्र वर्मा बनाम **झारखंड राज्य** ; 6,7,8,11,15

[2012] (2012) 6 एस. सी. सी. 502 :
ब्रज मोहन लाल बनाम **भारत संघ -(II)** ; 7,11,13,15

[2002] (2002) 5 एस. सी. सी. 1 :
ब्रज मोहन लाल बनाम **भारत संघ और अन्य** । 2

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 4782 (इसके साथ 2018 की सिविल अपील सं. 4784, 4783, 4786-90, 4785, 4791, 4792, 4794-95 और 4793 भी सुनी गई ।

2014 की रिट याचिका (एस.) सं. 3704 में झारखंड उच्च न्यायालय की रांची न्यायपीठ के तारीख 14 अक्तूबर, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से

सर्वश्री सज्जन पूवय्या. अमरेन्द्र शरण, ज्येष्ठ अधिवक्ता, वैष्णवी सुब्रमण्यम्, बालाजी श्रीनिवासन, प्रतिभानु सिंह खरोला, अभिषेक भारती, सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा, सुश्री गरिमा जैन, प्रियादर्शी बनर्जी, अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अर्चना कुमारी, राहुल पांडेय, अजय कुमार, आशीष वर्मा, डा. कैलाश चन्द, निखिल जैन, पवन किशोर सिंह, सुश्री मधुस्मिता बोरा, शिव राम शर्मा, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद वकास, आदित्य प्रताप सिंह, कृष्णानंद पांडेया और सुश्री सुष्मिता लाल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दिया ।

न्या. कौल – इन अपीलों में जो एकमात्र प्रश्न विचारार्थ उद्भूत हुआ है वह यह है कि क्या अपीलार्थियों/न्यायिक अधिकारियों द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं की गणना उनके पेंशनिक और अन्य फायदों के लिए की जा सकती है क्योंकि अपीलार्थियों ने इसके पश्चात् नियमित न्यायिक सेवा में प्रवेश किया है ।

2. चूंकि ऊपर कथित विधि संबंधी प्रश्न उद्भूत हुआ है, इसलिए प्रत्येक मामले के तथ्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार, केवल उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जा रहा है जो इस प्रश्न के अवधारण के लिए सुसंगत हैं । झारखंड राज्य की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन बिहार राज्य में से तारीख 25 नवम्बर, 2000 को की गई थी । प्रत्यर्थी सं. 2, झारखंड उच्च न्यायालय ने इसके तुरंत पश्चात् तारीख 23 मई, 2001 को झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया । अपीलार्थियों ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और परीक्षा और साक्षात्कार के पश्चात् ऐसे 27 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार की गई थी, जो वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र थे । तथापि, अंतिम चयन सूची में अपीलार्थियों में से किसी का नाम नहीं था । इसके

समानांतर गतिविधि यह हुई कि 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में वर्णित न्यायालयों की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन 502.90 करोड़ रुपए आबंटित किए । विभिन्न राज्यों में काफी समय से लंबित मामलों, विनिर्दिष्ट रूप से सेशन मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए 1734 न्यायालयों की परिकल्पना की गई थी । वित्त आयोग द्वारा आबंटित निधियों का उपयोग पांच वर्षों की समयबद्ध अनुसूची में किया जाना था और राज्य सरकारों को ऐसे न्यायालयों का गठन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने थे ।

3. इस स्कीम को, जो कि फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम के रूप में ज्ञात थी, विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रमुख रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियोजित करने के लिए कोई सांविधानिक मंजूरी नहीं थी और न ही ऐसे कोई प्रभावी दिशानिर्देश थे, जो प्रवर्तनशील हों । इन मामलों को उच्चतम न्यायालय में अंतरित कर दिया गया था और इन सभी मामलों पर **ब्रज मोहन लाल** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले निर्णय में विचार किया गया था । उच्चतम न्यायालय द्वारा इस स्कीम का विश्लेषण किया गया था और उन प्रशंसनीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनके आधार पर फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम स्थापित की गई थी, इन न्यायालयों के गठन को कतिपय निदेशों सहित कायम रखा गया था । इन निदेशों के अनुसार, इन न्यायालयों में नियुक्ति के लिए प्रथम अधिमानता पात्र न्यायिक अधिकारियों में से तदर्थ प्रोन्नतियों द्वारा दी जानी थी और द्वितीय अधिमानता ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दी जानी थी, जिनका सेवा अभिलेख अच्छा था । तीसरी अधिमानता, इन न्यायालयों में सीधी भर्ती के लिए विधिज्ञ वर्ग के सदस्यों के लिए परिकल्पित थी । इस निमित्त चौथा निदेश निम्नलिखित रूप में है :–

> "4. इन न्यायालयों में सीधी नियुक्ति के लिए तीसरी अधिमानता विधिज्ञ वर्ग के सदस्यों को दी जाएगी । वे अधिमानतः 35 से 45 वर्ष की आयु समूह में होने चाहिएं जिससे कि यदि फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्य करना समाप्त कर देते हैं तो वे नियमित पदों पर बने रहने की आकांक्षा कर सकें । उनके सेवा में बने रहने के प्रश्न का उच्च न्यायालय द्वारा उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर कालिकतः पुनर्विलोकन किया जाएगा । यदि इसके बाद भर्ती की जाती है और फास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है

---

[1] (2002) 5 एस. सी. सी. 1.

तो उन्हें नियमित रिक्तियों में आमेलित किया जा सकेगा । आरंभिक चयन के लिए, उच्च न्यायालय चयन की ऐसी पद्धतियों को अंगीकार करेगा जिनका अनुसरण सामान्यतया विधिज्ञ वर्ग के सदस्यों का वरिष्ठ/उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सीधे भर्ती किए जाने वाले न्यायाधीशों के लिए किया जाता है ।"

4. यह कथन किया गया है कि उपर्युक्त फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम को अग्रसर करने के लिए ही झारखंड राज्य/प्रत्यर्थी सं. 1 ने तारीख 29 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना द्वारा अपर जिला न्यायाधीशों के स्तर पर ऐसे 80 से अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया था । चूंकि इन पदों को शीघ्र भरने के लिए इस अधिसूचना से ठीक पूर्व परीक्षा संबंधी प्रक्रिया का संचालन किया गया था इसलिए चयन सूची में के ऐसे व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में समायोजित करने का विनिश्चय किया गया जिन्हें वरिष्ठ न्यायिक सेवा के नियमित काडर में समायोजित नहीं किया जा सका था । चयन सूची में शामिल 27 अभ्यर्थियों में से प्रथम 17 अभ्यर्थियों को तारीख 15 दिसम्बर, 2001 को नियमित काडर में नियुक्त किया गया था जबकि शेष 10 अभ्यर्थियों को तारीख 2 फरवरी, 2002 को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्त किया गया था । चूंकि फास्ट ट्रैक न्यायालयों की रिक्तियों को इस प्रक्रिया द्वारा भरा नहीं जा सका था, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने तारीख 23 मई, 2001 के विज्ञापन के अनुसरण में चयन प्रक्रिया में भाग लिया था किन्तु उनके नाम चयन सूची में नहीं थे, विधिज्ञ वर्ग से सीधी भर्ती के प्रवर्ग के अधीन 15 और अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था । इस प्रक्रिया का अनुपालन यथार्थ रूप से चयन सूची से परे अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार ही किया गया था । इन 15 अभ्यर्थियों को तारीख 23 सितम्बर, 2002 को नियुक्त किया गया था ।

5. हम यह भी अवेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे सरकारी सेवकों के लिए, जिन्होंने तारीख 1 दिसम्बर, 2004 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश किया है, पेंशन और साधारण भविष्य निधि की विद्यमान पद्धति अस्तित्व में नहीं रही और उसके बदले में ऐसे सरकारी पदधारियों के लिए, जिन्होंने तारीख 1 दिसम्बर, 2004 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश किया है, नई अंशदायी पेंशन स्कीम प्रारंभ की गई थी । तारीख 1 दिसम्बर, 2004 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले इन सरकारी पदधारियों से आज्ञापक रूप से नया स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक (प्रान) उपाप्त करना अपेक्षित था ।

6. वर्ष 2008 में, उच्च न्यायालय ने तारीख 31 अगस्त, 2008 को

आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अपर जिला न्यायाधीशों के 34 पदों के लिए एक नई चयन प्रक्रिया जारी की । इसके पश्चात् फास्ट ट्रैक न्यायालयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के अधीन फायदाग्राही होने वाले व्यक्तियों के बीच एक विधिक लड़ाई आरंभ हो गई । उपर्युक्त चयन प्रक्रिया को आक्षेपित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई चुनौती तारीख 29 अगस्त, 2008 को सफल हुई किन्तु इसके विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय को **श्रीकांत राय** बनाम **झारखंड राज्य**[1] वाले मामले में अपास्त कर दिया गया । न्यायिक अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी और इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस लड़ाई को इस न्यायालय तक लाया गया, जिसका विनिश्चय **महेश चन्द्र वर्मा** बनाम **झारखंड राज्य**[2] वाले मामले में किया गया था ।

7. **महेश चन्द्र वर्मा** (उपर्युक्त) वाले निर्णय से पूर्व, यह प्रश्न **ब्रज मोहन लाल** बनाम **भारत संघ-(II)**[3] वाले मामले में दिए गए निदेशों की विषयवस्तु बना कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराना बन्द कर देने के पश्चात् और जब कि राज्य सरकार के पास भी वित्तपोषण की समस्या थी, फास्ट ट्रैक न्यायालय में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के बारे में क्या कार्यवाही की जानी है । सुसंगत पैरा निम्नलिखित रूप में हैं :–

> "207.9. ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्हें विधिज्ञ वर्ग से सीधी भर्ती द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम के अधीन फास्ट ट्रैक न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है, संबंधित राज्यों की उच्चतर न्यायिक सेवाओं के नियमित काडर में निम्नलिखित रीति में नियुक्त किए जाने के हकदार होंगे –
>
> (क) फास्ट ट्रैक न्यायालयों में सीधे भर्ती किए गए ऐसे व्यक्ति, जो नियमित किए जाने का विकल्प करते हैं, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा अपर जिला न्यायाधीशों के नियमित काडर में आमेलन के लिए उनकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा देंगे ।
>
> (ख) इसके पश्चात्, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति

---

[1] (2017) 1 एस. सी. सी. 457.
[2] (2012) 11 एस. सी. सी. 656.
[3] (2012) 6 एस. सी. सी. 502.

और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा ।

(ग) लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक और साक्षात्कार के लिए 100 अंक होंगे । सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंक कुल अंकों का 40 प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 35 प्रतिशत अंक होंगे । परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन राज्यों द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए अधिनियमित सुसंगत नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति फास्ट ट्रैक न्यायालयों में प्रति वर्ष सेवा के लिए एक अंक का हकदार होगा, जो कि साक्षात्कार के अंकों का भाग गठित करेगा ।

(ङ) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस परीक्षा और साक्षात्कार का संचालन संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इन सभी आवेदकों ने फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के रूप में अनेक वर्षों तक सेवा की है और विधि के अनुसार न्याय प्रदान कराने में देश की सेवा की है । अतः, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार माड्यूल इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विरचित किए जाने चाहिएं ।

(च) उन अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और ऊपर उपदर्शित समेकित प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, राज्य के नियमित काडर में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा ।

(छ) यदि, किसी कारणवश, नियमित काडर में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो हम राज्य सरकारों को यह निदेश देते हैं कि वे उतनी अतिरिक्त रिक्तियों का सृजन करें जो चयन किए गए अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों ।

(ज) फास्ट ट्रैक न्यायालयों के ऐसे सभी आसीन और/या पूर्व न्यायाधीशों को, जिन्हें विधिज्ञ वर्ग से सीधे नियुक्त किया गया था और वे नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार देने के इच्छुक हैं, आयु में छूट प्रदान की जाएगी ।

कोई भी आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदक की आयु विहित आयु से अधिक है ।

207.10. विधिज्ञ वर्ग के ऐसे सदस्य, जिन्हें सीधे नियुक्त किया गया था किन्तु उन्हें संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, असंतोषप्रद कार्य के आधार पर सेवा से हटा दिया गया था या पदच्युत कर दिया गया था या जिनके विरुद्ध किसी अन्य आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, इस निर्णय के पैरा 207.9 में कथित फायदों के पात्र नहीं होंगे ।"

8. **महेश चन्द्र वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखा गया था और इसलिए पैरा 63 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया था :–

"63. यदि झारखंड राज्य ने **ब्रज मोहन लाल-(II)** वाले मामले में जारी किए गए निदेशों का अब तक अनुपालन नहीं किया है तो वह उनका अनुपालन करने के लिए अब कदम उठाएगा । झारखंड राज्य और उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तालमेल बनाकर काम करना होगा कि अपीलार्थियों को उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमित काडर में नियुक्त करने संबंधी निदेशों का अनुपालन यथार्थ रूप से **ब्रज मोहन लाल-(II)** वाले मामले में अधिकथित रीति में ही किया जाए ।"

9. उपर्युक्त निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि नियमितीकरण और आमेलन के लिए एक परीक्षा का संचालन किया गया था और इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उसमें सफल हुए थे और इस प्रकार उन्हें झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था । तथापि, उन्हें नए सिरे से भर्ती किए गए अधिकारी माना गया था ।

10. अपीलार्थी उन्हें नए सिरे से भर्ती किए गए अधिकारी मानने के कारण व्यथित थे और उन्होंने वेतन के संरक्षण का फायदा देने और सेवा की सततता संबंधी अन्य फायदों के लिए अनुरोध किया । तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था । इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं फाइल की गईं, जहां कुछ अंतरिम संरक्षण दिया गया था किन्तु अंततः वे रिट याचिकाएं तारीख 14 अक्तूबर, 2015 के सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थीं ।

11. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि उपर्युक्त निर्णयों के प्रति निर्देश करने के अलावा जिस एकमात्र पहलू की परीक्षा की

गई थी वह यह थी कि चूंकि इस प्रकार की गई नियुक्ति मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अस्थायी स्कीम के लिए थी इसलिए आरंभिक नियुक्ति काडर-बाह्य पद पर अस्थायी नियुक्ति थी । तथापि, **ब्रज मोहन लाल -(II)** (उपर्युक्त) और **महेश चन्द्र वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामलों में के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक प्रक्रिया के माध्यम से नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि चूंकि इन निर्णयों में अपीलार्थियों की नियुक्ति के पश्चात् की स्थिति पर विचार नहीं किया गया है इसलिए उच्च न्यायालय ऐसा कोई फायदा देने में असमर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियमित पदों पर भर्ती करने की पद्धति संबंधी प्रश्न पर कार्यवाही करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का अवलंब लिया था ।

12. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने बहस के अनुक्रम में इस बात पर जोर देने की ईप्सा की कि फास्ट ट्रैक न्यायालय अपनी प्रकृति-स्वरूप एक सीमित कालावधि के लिए गठित किए गए थे और अतः, इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों को इस तथ्य का भान था कि उनका कार्यकाल सीमित होगा । चूंकि केन्द्रीय सरकार से इनका वित्तपोषण बन्द कर दिया गया था फिर भी राज्य सरकारों ने इन न्यायालयों को कुछ वर्षों के लिए बनाए रखा किन्तु इस कारण भी अपीलार्थियों को पेंशनिक और सेवानिवृत्ति फायदों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए उन्हें फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में की गई सेवा के फायदे का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । उसने इस बात पर जोर देने की ईप्सा की कि इस न्यायालय ने निदेश जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का अवलंब लिया है और उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन जो कुछ नहीं किया गया था वह उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं किया जा सकेगा ।

13. हमने विद्वान् काउन्सेल से यह विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा कि क्या इस न्यायालय ने प्रश्नगत दो निर्णयों में ऐसे किसी अनुदान को प्रतिषिद्ध किया था ? विद्वान् काउन्सेल, कुछ आरंभिक हिचकिचाहट के बाद इस स्थिति के संबंध में विवाद नहीं कर सके कि ऐसा कोई प्रतिषेध नहीं था । हमने विद्वान् काउन्सेल से यह प्रश्न भी पूछा कि क्या काडर की विद्यमान सदस्य-संख्या न्याय परिदान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, अर्थात्

क्या यह कहा जा सकता है कि सुसंगत मामलों का विचारण करने के लिए पर्याप्त न्यायालय अस्तित्व में थे ? एकमात्र यही उत्तर सामने आया कि राज्य का गठन अभी हाल ही में हुआ था और उसने रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाए थे । तथापि, हमारे मतानुसार, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मामलों के विद्यमान प्रवाह से निपटने के लिए अपर्याप्त न्यायिक पदों की प्रचलित सामान्य स्थिति के संबंध में यह राज्य कोई अपवाद नहीं था । पश्चात्वर्ती निदेशों के माध्यम से ही न्यायिक सदस्यों की संख्या में कालिक वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है । **ब्रज मोहन लाल-(II)** (उपर्युक्त) वाले मामले में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया था :–

> "207.11. समय की मांग और देश में समस्त मुकदमेबाजों और नागरिकों को निष्पक्ष और शीघ्र विचारण प्रदान करने संबंधी सांविधानिक आज्ञा को ध्यान में रखते हुए, हम संबंधित राज्यों और केन्द्रीय सरकार को यह निदेश देते हैं कि राज्य के नियमित काडर की कुल सदस्य-संख्या के 10 प्रतिशत पदों का आज से तीन मास के भीतर अतिरिक्त पदों के रूप में सृजन किया जाए और उसके ठीक पश्चात् उस राज्य के उच्चतर न्यायिक सेवा और न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जाए ।"

14. फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता द्रुत न्यायनिर्णयन के लिए कतिपय प्राथमिक क्षेत्रों को लक्ष्यित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उद्भूत हुई थी । वास्तव में, यदि काडर की सदस्य-संख्या पर्याप्त होती तो इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती ।

15. अपीलार्थियों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में किसी व्यक्ति की सनक और कल्पना के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था बल्कि वे न्यायिक भर्ती प्रक्रिया की योग्यता सूची में पंक्ति में अगले व्यक्ति थे । वे या तो चयन सूची के भाग थे, जिन्हें काडर की सदस्य-संख्या के कारण स्थान नहीं मिल सका था या वे चयन सूची में पंक्ति में अगले व्यक्ति थे । यदि काडर की सदस्य-संख्या पर्याप्त होती तो भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति हो गई होती । हमें इस बात का विश्वास है कि इन न्यायाधीशों ने नौ वर्षों से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान की हैं और उन्होंने न्यायाधीशों के रूप में अपनी भूमिका संतोषजनक रूप से की है अन्यथा उन्हें नियमित काडर में नियुक्ति करने का कोई अवसर ही

नहीं मिलता । इसके अलावा, उन्होंने ऐसी भर्ती के लिए दूसरी प्रक्रिया भी पूरी की । हम यह मानते हैं कि यह अत्यंत दुख का विषय है कि इन अपीलार्थियों को, जिन्होंने सक्षम प्राधिकारियों के समाधानप्रद रूप में न्यायाधीश के कृत्यों का पालन किया है, सेवा की इस अवधि के लिए उनके पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों से उन्हें वंचित किया जाना चाहिए । अपीलार्थियों ने हमारे समक्ष ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के मुकाबले, जिसकी भर्ती बाद में हुई थी, ज्येष्ठता से संबंधित किसी मामले या किसी अन्य फायदे पर जोर नहीं दिया था । वास्तव में, हमने अपीलार्थियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि हम केवल फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों की हैसियत में उनके द्वारा की गई सेवा की, पेंशनिक और सेवानिवृत्ति फायदों के लिए उनके सेवाकाल में गणना किए जाने का फायदा देने संबंधी प्रश्न की ही परीक्षा कर रहे हैं । इससे इनकार करना अपीलार्थियों के प्रति अन्यायपूर्ण और अऋजु होगा । बहरहाल, **ब्रज मोहन लाल-(II)** (उपर्युक्त) और **महेश चन्द्र वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन किए गए निदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक परिणाम निकलना चाहिए कि उन्हें उनके पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों में की गई सेवा की अवधि का फायदा दिया जाए । नियमित काडर में पर्याप्त सदस्य-संख्या का सृजन न करने और इसके परिणामस्वरूप ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने का, जिनमें अपीलार्थी पीठासीन थे, अपीलार्थियों को उनके हक से इनकार करने की चाल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता ।

16. हम एक भिन्न तथ्यात्मक संदर्भ में किन्तु अधिकथित सिद्धांत के आधार पर, **निहाल सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक न्यायपीठ के निर्णय का उल्लेख करते हैं, जिसमें हम में से एक थे । पंजाब राज्य, वर्ष 1980 में व्यापक पैमाने पर होने वाले उपद्रवों से ग्रस्त था और वह उपलब्ध पुलिस कार्मिकों की सहायता से विद्यमान विधि और व्यवस्था से निपटने की स्थिति में नहीं था और इसलिए उसने पुलिस अधिनियम, 1861 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए भर्ती का सहारा लिया । विशेष पुलिस अधिकारियों को बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया था, जिसके लिए वित्तीय भार बैंकों द्वारा वहन किया जाना था और उसमें यह स्पष्ट सहमति

---

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 65.

थी कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ऐसे पुलिस अधिकारी संबंधित जिले के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुशासन और नियंत्रण के अधीन होंगे । ऐसे विशेष पुलिस अधिकारियों ने मुश्किल समयों में अंगरक्षी सेवाएं प्रदान कीं किन्तु बाद में जब नियमितीकरण के लिए उनके मामले पर विचार किया गया तो वर्ष 2002 में पारित एक आदेश द्वारा उस संबंध में एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई । इस न्यायालय ने इस बात को मानते हुए कि किसी काडर का सृजन करना या पदों को स्वीकृत करना अनन्य रूप से राज्य के प्राधिकार के अधीन था, यह राय व्यक्त की कि यदि राज्य ने किसी काडर को सृजित करने का विकल्प नहीं अपनाया किन्तु केवल संविदात्मक संबंध सृजित करके व्यक्तियों की नियुक्तियां करने का विकल्प अपनाया था तो ऐसी कार्रवाई को शक्ति के मनमाने प्रयोग की प्रकृति में प्रवर्गीकृत किया जाएगा । इस संदर्भ में, न्यायपीठ द्वारा इस प्रकार मत व्यक्त किया गया था : "स्वीकृत पद आकाश से उत्पन्न नहीं होते हैं ।" राज्य को आवश्यकता के किसी तर्कसंगत निर्धारण के आधार पर बोधगम्य विकल्पानुसार उनका सृजन करना होता है । इस प्रकार, प्रकट तथ्यों से यह दर्शित होता है कि पदों का सृजन करने की आवश्यकता विद्यमान थी और ऐसे पदों का सृजन करने में हुई असफलता का या ऐसी कामचलाऊ व्यवस्था करने का, जो वर्षों तक जारी रही हो, उपयोग ऐसे लोगों को, जिन्होंने काफी वर्षों तक कार्य किया है, मनमानी रीति में आमेलन का फायदा देने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है । ऐसे विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने का निदेश जारी किया गया था और उन्हें राज्य की पुलिस सेवा के विद्यमान काडर में समरूप प्रकृति की सेवा के फायदों का हकदार ठहराया गया था ।

17. अपीलार्थियों के संबंध में भी जो स्थिति है वह प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर भिन्न नहीं है, क्योंकि मामलों के प्रवाह और लंबित स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित काडर के पदों की आवश्यकता थी । इस आकस्मिकता से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय स्कीम लाई गई थी और अपीलार्थियों को इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्त किया गया था और वे लगभग एक दशाब्दी तक कार्य करते रहे । वे नियमित काडर के पदों पर भर्ती के लिए आरंभिक चयन सूची/योग्यता सूची के भाग थे किन्तु उनका रैंक इतना ऊंचा नहीं था कि वह विद्यमान पदों की संख्या में भर्ती किए जा सकते । नियमित काडर के पदों में आमेलन के प्रक्रम पर भी उन्हें इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और वे उसके पश्चात् कार्य करते रहे ।

18. अतः, हमारी यह बेहिचक और स्पष्ट राय है कि सभी अपीलार्थी और समान परिस्थिति वाले न्यायिक अधिकारी, फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि के फायदे की गणना पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के अवधारण के लिए उनके सेवाकाल में कराने के हकदार हैं ।

19. तद्नुसार अपीलें मंजूर की जाती हैं और पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.

[2018] 4 उम. नि. प. 247

मनोज कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

सुरिन्द्र सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

रंगील सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

15 मई, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304, भाग 2, धारा